7-5-18

पत्रावली का लोक अदालत हेतु चयन किया गया, पक्षकारान को नोटिस जारी हो पत्रावली दिनांक 13-6-18 केम्प तोरण को पेश हो।

13/6/18

पत्रावली लोक अदालत केम्प तोरण में पेश हुई। वकील वादी मजमें आम में उपस्थित। वकील वादी को सुना गया। वकील वादी ने कथन किये कि वादी के पिता का नाम ग्राम उकल्दा स्थित विवादित आराजी में बिरधीलाल अंकित है, जबकि वादी के पिता का वास्तविक नाम श्रवण लाल है। वादी के पहचान के दस्तावेजों में पिता का नाम श्रवण लाल ही अंकित है तथा ग्राम शिवाड जंहा का वादी मूल निवासी है वंहा स्थित आराजी में वादी के पिता का नाम श्रवण अंकित है। अतः विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम बिरधीलाल के स्थान पर श्रवण दर्ज किया जावें। मजमें आम में पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया। वकील वादीग द्वारा प्रस्तुत तर्कादि पर विचार किया। पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य का प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में विधिक विचार किया। मजमें आम में प्रतिवादी पैरोकार सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ, जो शा0 मि0 किया गया। जवाब में पैरोकार सरकार ने वाद वादी खारिज किये जानें की अभिशंषा करते हुए कथन किये कि वादी द्वारा पिता का नाम श्रवणलालव

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो कि [illegible] तारीख में जारी हुए
	बिरधीलाल एक ही व्यक्ति के नाम बताये गये है, जबकि पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम पंचायत शिवाड द्वारा जारी प्रमाण पत्र में श्रवणलाल व बिरधीलाल भाई–भाई अंकित किये है। खातेदार रामस्वरूप ग्राम पंचायत शिवाड के प्रमाण पत्र के अनुसार बिरधीलाल के पास रहा है। सम्भवतः उसी की भूमि पर वादी का नाम दर्ज हुआ है, जो सही है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, जवाब सरकार एक अन्य बिन्दुओं पर विचारण करनें के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पंहुचते है कि वादी अपनें वाद पत्र में जो रिलीफ प्राप्त करना चाहता है, उसका वर्तमान में कोई अस्तित्व ही नहीं है, ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति का नाम वादी परिवर्तन करवाना चाहता है वह भौतिक रूप से मौजूद ही नहीं है, और न ही वादी द्वारा श्रवण लाल के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। जिससे माना जावें कि वादी के पिता बिरधीलाल न होकर श्रवणलाल हो। जो व्यक्ति भौतिक रूप से मौजूद ही नहीं है उस व्यक्ति के सम्वन्ध में कोई निर्णय पारित किया जाना उचित नहीं पाते है। उक्त भूमि जरिये विक्रय पत्र क्रय किया जाना प्रतीत होती है, और उसी अनुसार इंतकाल दर्ज किया गया हैं। वादी की ओर से न तो विक्रय पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है और न ही इंतकाल की प्रति ही प्रस्तुत की है। वादी अपनें वाद पत्र को साबित करनें में असफल रहा है। लिहाजा वाद वादी खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी हो। निर्णय मजमें आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रट दीगोद जिला कोटा लोक अदालत केम्प तोरण

उनवान

रामस्वरूप पुत्र श्रवण लाल जाति ब्राह्मण निवासी सिवाड तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

– वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद, तहसील दीगोद जिला कोटा

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट

मिसल नम्बर– 92/17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस. बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब मुद्दालयह लोक अदालत में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि " वाद वादी खारिज किया जाता है।" तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 13.06.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner